रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 25] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 17, 1975/पौष 27, 1896
No. 25] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 17, 1975/PAUSA 27, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES
(Deptt. of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 17th January 1975

S.O. 37(E)/18FB/IDRA/75.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 602(E)/18AA/IDRA/74, dated the 9th October, 1974, the management of the industrial undertaking know as Messrs. Motor and Machinery Manufacturers Limited, Calcutta, (hereinafter referred to as the said industrial undertaking), has been takenover under section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period of five years upto and inclusive of the 8th October, 1979;

And whereas the Central Government is satisfied that in relation to the said industrial undertaking it is necessary so to do in the interests of the general public with a view to preventing fall in the volume of production of the scheduled industry, namely, the Electrical Equipment Industry;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the said Act, the Central Government hereby declares that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of this Order (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the said industrial undertaking or the company owing such industrial undertaking is a party or which may be applicable to such industrial undertaking or company shall remain suspended for a period of one year from such date and that all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period.

[No. F. 2/9/74-CUC]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 1975

का० आ० 37(अ)/18चख/आई०डी०आर०ए०/75.—यतः भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 602 (ई)/18कक/आई डी आर ए/74—तारीख 9 अक्टूबर, 1974 द्वारा मेसर्स मोटर एण्ड मशीनरी मैन्यूफैक्चरर्स लिमिटेड, कलकत्ता, (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 क क के अधीन 8 अक्टूबर, 1979 तक; जिसमें वह तारीख भी सम्मिलित है, पांच वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण कर लिया गया है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम के सम्बन्ध में अनुसूचित उद्योग अर्थात वैद्युत उपस्कर में उद्योग में उत्पादन के परिमाण में कमी को रोकने की दृष्टि से, जनसाधारण के हितों में ऐसा करना आवश्यक है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 18 चख की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस आदेश के जारी होने की तारीख के ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तान्तरणपत्रों, करारों, व्यवस्थापनों पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का (जो उनसे भिन्न हैं जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों से सम्बन्धित है) जिनका उक्त औद्योगिक उपक्रम या ऐसे औद्योगिक उपक्रम का स्वामित्व रखने वाली कम्पनी एक पक्षकार है या जो ऐसे औद्योगिक उपक्रम या कम्पनी को लागू हों प्रवर्तन ऐसी तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख के पूर्व उनके अधीन प्रोद्भूत या उदभूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व उक्त अवधि के लिए निलम्बित रहेंगे ।

[सं० फा० 2/9/74-सी०यू०सी०]

डी० के० सक्सेना, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975